न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2021 – रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भीलवाडा	बनाम श्री निर्भयसिंह पुत्र मनमतसिंह राजपूत निवासी पांसल, तहसील भीलवाडा
–प्रार्थी	–विपक्षी

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री श्याम लाल वैद अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.11.2025

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./4913/2020/भीलवाडा सरकार बनाम निर्भय सिंह निर्णय दिनांक 24.08.2021 में अंकन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधिनियम की धारा 82 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत निर्णय लिया जाकर रेफरेन्स नवीनतः प्रस्तुत किया जावे।

प्रार्थी तहसीलदार, भीलवाडा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत कराते हुये अनुरोध किया कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी सं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा जमाबंदी संवत् 1995 के मुताबिक पाल दर्ज हैं। इस आराजी नं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा के नये खसरा नं. 1355/3 रकबा 1.17 बीघा बने। भू आवंटन अधिकारी ने खसरा नं. 1355/2 किस्म गैर मुमकिन पाल धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध अप्रार्थी को क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर आंवटित कर दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. जनहित याचिका सं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदान किये गये निर्देशों के अनुरूप उक्त आवंटन/नियमन/अंकन निरस्त योग्य हैं। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में आने के कारण आवंटन / नियमन योग्य नहीं थी। अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय गैर मुमकिन पाल दर्ज करवाने के आदेश दिये जावे।

25.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./4913/2020/भीलवाडा सरकार बनाम निर्भय सिंह निर्णय दिनांक 24.08.2021 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 16.12.2021 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी सं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा जमाबंदी संवत् 1995 के मुताबिक पाल दर्ज हैं। इस आराजी नं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा के नये खसरा नं. 1355/3 रकबा 1.17 बीघा बने। भू आवंटन अधिकारी ने खसरा नं. 1355/2 किस्म गैर मुमकिन पाल धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्व अप्रार्थी को क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर आंवटित कर दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. जनहित याचिका सं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदान किये गये निर्देशों के अनुरूप उक्त आवंटन/नियमन/अंकन निरस्त योग्य हैं। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में आने के कारण आवंटन / नियमन योग्य नहीं थी। अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय गैर मुमकिन पाल दर्ज करवाने के आदेश दिये जावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बताया कि दिनांक 15.05.1955 को जागीरदार की निजी सम्पत्ति की घोषणा में, राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिज्यूम्पशन ऑफ जागिर एक्ट 1952 की धारा 46 के तहत राजस्व न्यायालय को दखल करने की अधिकारिता नहीं हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 01.07.1956 से लागू होने से पूर्व किसी भी सीमा तक इस अधिनियम के कोई प्रावधान इस मामलें को प्रभावित नही कर सकते हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये। विपक्षी ने विधिक दृष्टान्त 2008(2) आरआरटी 1259 स्टेट बनाम देवी सिंह, 2021(3) सीजे(सिवि.) राज., 2020 डीएनजे (रेवे.) पेश किये।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की

25.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी सं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा जमाबंदी संवत् 1995 के मुताबिक पाल दर्ज हैं। विपक्षी द्वारा वर्ष 1947 के पूर्व के ऐसे राजस्व दस्तावेज पेश नही किये गये जिससे जाहिर हो सके कि प्रश्नगत आराजी विपक्षी के नाम वर्ष 1947 से पूर्व स्वयं की खातेदारी में हो। इसी प्रकार विपक्षी के नाम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से पूर्व भी स्वयं के नाम पर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा होने के संबंध में कोई रिकार्ड विपक्षी द्वारा पेश नही किया गया हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग की किस्म गे.मु.पाल अंकित थी। प्रश्नगत भूमि आजादी से पूर्व व 1956 के भू राजस्व अधिनियम लागू होने तक बिलानाम दर्ज रही हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, भीलवाडा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा किस्म गे.मु. पाल के हाल आराजी नं. 1355/2 रकबा 1.17 बीघा किस्म गे.मु. पाल में विपक्षी के नाम अभिलिखित भूमि को पुनः किस्म बिलानाम गे.मु. पाल दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.11.25

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा